

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ दिनांक :

## आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे./सीधी भर्ती/2015/649 दिनांक 09.10.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत लेब टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित लेब टैक्नीशियन जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र.स.	पदस्थापन सूची क्रमांक 649 दिनांक 09.10.15 के क्र.स	कर्मचारी/ पिता का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण दिनांक
1.	3	श्री दीपक कुमार गालव पुत्र सत्यनारायण गालव	सामु0स्वा0केन्द्र देवली (टोंक)	06.07.88	14.10.15	13.10.17	14.10.17
2.	79	सुश्री सुलोचना पुत्री श्री ओमप्रकाश फगेड़िया	सामु0स्वा0केन्द्र रतननगर (चूरु)	01.10.89	14.10.15	13.10.17	14.10.17
3.	74	श्री आशीष सक्सैना पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार	प्रा0स्वा0 केन्द्र बडोदा (डूंगरपुर)	22.03.91	16.10.15	15.10.17	16.10.17
4.	83	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ऋषि कुमार	सामु0स्वा0 केन्द्र गैजी (डूंगरपुर)	10.08.80	14.10.15	13.10.17	14.10.17
5.	40	श्री भीवाराम यादव पुत्र श्री बद्रीनारायण यादव	प्रा.स्वा0 केन्द्र देवगढ़ (प्रतापगढ़)	16.09.92	15.10.15	14.10.17	15.10.17

( राकेश शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ /2018/ 96

दिनांक : 31-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/सीएचएचओ/पीएमओ/सीएचसी/पीएचसी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।